

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./२०/२००८/१०२५
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 5/8/18


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	१	२	३
१	सुश्री हर्पा दुबे अध्यापक शास. उत्कृ. दि. खरगोन जिला खरगोन	नगरपालिका परिषद खरगोन जिला खरगोन जा.क्र. २६०५ दि. २६.०४.०८	नगर पंचायत हाटपीपल्या जिला देवास जा.क्र. २४४ दि. २९.०५.०८ शाकउर्जावि हाटपीपल्या


संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
- वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
- तालिका क्र २ एवं ३ में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./२७/२००८/१०६९//आदेश//

भोपाल, दिनांक-७/८/०८

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ१-४९/२००८/२०-१ दिनांक - २६.४.०८ में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-८.११.२००५ एवं २१.१२.२००५ के अनुक्रम में महिला, तथा ४० प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम
	१	२	३
१.	श्रीमती नेहा यादव अध्यापक शा.न.मा.वि.पचलाना (ईशागढ़) जिला अशोकनगर	जनपद पंचायत ईशागढ़ जिला अशोकनगर जा.क्र. ९७८ दि. ०२.०७.०८	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. ७९ दि. ०५.०८.०८ शा.हाईस्कूल सेमराकलां

संविलियन की शर्त -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में ४० प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-३ में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
- वर्ष २००१ के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक ३२७६/२००७ एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
- तालिका क्रमांक २ एवं ३ में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

twenty eight

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
8. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/1067

भोपाल, दिनांक 7/8/08


:: संशोधन ::

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/999-1000, दिनांक 02.08.2008 के द्वारा स.क्र. 17 पर अंकित श्रीमती सोनाली, सक्सेना, अध्यापक, शा. मा.शा. गुलखेड़ी, जिला-राजगढ़ को जिला पंचायत, जिला-राजगढ़ से जिला पंचायत, जिला-रायसेन के शा. माध्यमिक शाला सेहतगंज में अध्यापक के पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी। एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्रमांक एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्रमांक एवं दिनांक
1	श्रीमती सोनाली सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.शा.गुलखेड़ी, जिला-राजगढ़	जनपद पंचायत सारंगपुर, जिला-राजगढ़ जावक क्र. 2502, दिनांक 14.07.08	नगर पालिक निगम, जिला-भोपाल जावक क्र. 56, दिनांक 05.08.08 शा. मा.शा. चूना भट्टी/पुतलीघर/नेहरु नगर जिला-भोपाल

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



उप संचालक

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/ए/संवि./013/2008/1068
प्रतिलिपि :-

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 7/8/08

1. कलेक्टर, जिला-राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगपुर, जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ एवं भोपाल मध्यप्रदेश।
6. संकुल प्राचार्य शासकीय कन्या उमावि पचौर, जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।
7. संबंधित -श्रीमती सोनाली सक्सेना, अध्यापक, शा.मा.शा.गुलखेड़ी, संकुल शा. कन्या उमावि पचौर जिला-राजगढ़ मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./163/2008/1055

भोपाल,दिनांक: 6/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती ममता श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.चक्कीखमरिया जिला सिवनी	जनपद पंचायत कुरई जिला सिवनी जा.क्र. 592 दि. 12.06.08	जनपद पंचायत सौसर जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र. 312 दि. 28.06.08 1.शा.प्रा.बोरगाव 2. शा.प्रा.शा.पारडसिंगा
2	श्रीमती अर्चना मौर्य, सहायक अध्यापक, शा.पूर्व मा.शा. जीवनगर,मैहर जिला सतना	जनपद पंचायत मैहर जिला सतना जा.क्र. 580 दि. 30.06.08	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 1717 दि.07.07.08 1.शा.प्रा.शा.सेमराबाग
3.	श्रीमती वीनस मसीह, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.शमशाबाद जिला हरदा	जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा जा.क्र. 1883 दि. 28.06.08	जनपद पंचायत बाबई जिला होशंगाबाद जा.क्र. 1288 दि. 27.06.08 1. शा.प्रा.शा.सिंगपुर
4.	श्रीमती हुमैरा सिद्दकी,सहायक अध्यापक, शा.क.उ.मा.वि. नसरुल्लागंज जिला सीहोर	नगर पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र. 212 दि. 08.05.07	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 3061 दि. 23.06.08 1. शा.प्रा.शा.सिकन्दराबाद
5.	श्रीमती सुगम शर्मा, सहायक अध्यापक शा.मा.वि.बडबई जिला रायसेन	जनपद औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र.1033 दि. 19.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 3066 दि. 30.06.08 1.शा.क.प्रा.शा.बीनापुर
6.	श्रीमती मीना अहिरवार, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि.नाईहेड़ी जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 1349 दि. 13.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क्र. 4061 दि. 09.07.08 1.शा.प्रा.शा.खुर्चनी भोपाल


	1	2	3
7.	श्रीमती आरती स्वर्णवंशी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.पा.पनवार जिला सीधी	जनपद पंचायत सीधी जिला सीधी जा.कं. 2121 दि. 09.05.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क.3071 दि. 30.06.08 1. शा.प्रा.शा.हताईखेड़ा
8.	श्री रामकृष्ण पवार (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.मा.शा.राला जिला सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क. 1092 दि. 12.06.08	जनपद पंचायत खातेगाँव जिला देवास जा.क. 971 दि. 18.06.08 1.शा.मा.वि.खारदा
9.	श्रीमती नीलिमा यादव, सहायक अध्यापक, शा.कन्या प्रा.शा.छिदगाँव मेल जिला हरदा	जनपद पंचायत टिमरनी, जिला हरदा जा.क. 1954 दि. 03.07.08	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद जा.क. 868 दि. 04.07.08 1.शा.प्रा.शा.भिलाडियाखुर्द 2. शा.मा.शा.रीछी 3.शा.मा.शा.भैंसादेह.
10.	श्रीमती रूखसाना खानम, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.चैनपुर जिला रायसेन	जनपद पंचायत बाड़ी जिा रायसेन जा.क. 1128 दि. 26.06.08	जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल जा.क. 4057 दि. 09.07.08 1. शा.प्रा.शा.मुबारकपुर
11	श्रीमती निर्मला शुक्ला, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.बराटोला सन्नेही जिला सतना	जनपद पंचायत अमरपाटन जिला सतना जा.क. 628 दि. 11.06.08	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 300 दि. 10.07.08 1. शा.मा.शा.देवरा

संविलियन की शर्त :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।

7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक,


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पुष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./163/2008/1056 भोपाल,दिनांक:

6/8/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारीएवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराये । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./001-ए/2008/1063

भोपाल, दिनांक- 7/8/08

//आदेश//

ग०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिले/संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती ममता विजयवर्गीय सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लसूडिया कागर जिला सीहोर	नगर पंचायत इछावर जिला सीहोर जा.क्र. 956 दि. 26.06.08	नगर पालिका कोलार जिला भोपाल जा.क्र. 1476 दि. 15.07.08 शा.प्रा.शा. बांसखेड़ी कोलार
2	श्रीमती उमा चतुर्वेदी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. पाड़ाझिर बेगमगंज जिला रायसेन	जनपद पंचायत बेगमगंज जिला रायसेन जा.क्र. 216 दि. 26.06.08	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 472 दि. 07.07.08 शा.मा.शा. समनापुर
3	श्रीमती सविता अग्रवाल अध्यापक शा.मा.शा. बारों जिला छतरपुर	जनपद पंचायत बड़ामलहरा जिला छतरपुर जा.क्र. 435 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत पौहरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 489 दि. 10.07.08 शास.हाईस्कूल परिच्छा
4	श्रीमती शीबा खॉन अध्यापक शास.हाईस्कूल बीरपुर डेम इछावर जिला सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 2671 दि. 12.05.08	नगर पालिक निगम भोपाल जिला भोपाल जा.क्र. 320 दि. 03.07.08 शास.हाईस्कूल उबेदिया
5	श्रीमती रूपाली जैन अध्यापक शा.नवीन मा. शा. पूनौल जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत जतारा जिला टीकमगढ़ जा.क्र. 2165 दि. 10.07.08	नगर पंचायत हातोद जिला इंदौर जा.क्र. 197 दि. 16.07.08 शास.हाईस्कूल कन्या हातोद
6	श्रीमती रानी जैन सहायक अध्यापक शा.मा.वि. थनरा जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत करैरा जिला शिवपुरी जा.क्र. 1087 दि. 14.07.08	नगर पालिका परिषद ब्यावरा जिला राजगढ़ जा.क्र. 19 दि. 15.07.08 शास.क. मा.वि. बसस्टैंड ब्यावरा शा.प्रा.वि. जगात, शा.प्रा.वि. क्र.1 ब्यावरा
7	श्रीमती मीना अहिरवार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. नाईखेड़ी जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 1349 दि. 13.06.08	जनपद पंचायत फंदा जिला भोपाल जा.क्र. 4061 दि. 09.07.08 शा.प्रा.शा. खुरघनी
8	श्रीमती सपना सूर्यवंशी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. मगरौड़ा जिला गुना	जनपद पंचायत बमौरी जिला गुना जा.क्र. 895 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन जा.क्र. 1550 दि. 14.07.08 शा.प्रा.वि. कलेसर


me

9	श्रीमती मनोरमा राठौर सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. पनवाड़ी हाट जिला गुना	जनपद पंचायत आरोन जिला गुना जा.क्र. 635 दि. 23.06.08	जनपद पंचायत बड़नगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1582 दि. 10.07.08 शा.क.प्रा.वि. खरसौदखुर्द
10	श्रीमती चन्द्र राठौर अध्यापक शा.मा.वि. गौरा जिला भिण्ड	जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड जा.क्र. 1475 दि. 11.07.08	जनपद पंचायत घाटीगांव जिला ग्वालियर जा.क्र. 1323 दि. 15.07.08 शा.मा.वि. क. पुरानी छावनी
11	श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव अध्यापक शा.मा.वि. बमनाई हवेली जिला अशोकनगर	जनपद पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. 76 दि. 10.07.08	नगर पालिका परिषद बीमना जिला सागर जा.क्र. 91 दि. 14.07.08 शा.मा.वि. पाठक बाई

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों/संविदा शाला शिक्षक का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सवांच्य न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित



उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक- 7/8/08

पृष्ठा. क्र0/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./001-ए/2008/1064
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं



- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारीएवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
 8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
 9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।


07/08
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./170/2008/1087

भोपाल,दिनांक: 8/08/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती संगीता सिंह चंदेल, अध्यापक,शा.कन्या उ.मा.वि.कटंगी जिला जबलपुर	नगर पंचायत कटंगी जिला जबलपुर जा.क्र. 176 दि. 11.07.08	नगर पालिका परिषद हटा जिला दमोद जा.क्र. 453 दि. 05.07.08 1. शा.नवीन हाईस्कूल हटा 2.शा.एमएलबी.क.उमावि हटा 3. शा.उत्कृ.वि.हटा
2	श्रीमती - फिरदोस जहाँ, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.उमरिया जिला रायसेन	जनपद पंचायत साँची जिला रायसेन जा.क्र. 1902 दि. 07.07.08	नगर पालिका परिषद सिरौंज जिला विदिशा जा.क्र. 1092 दि. 16.07.08 1.शा.मा.शा.हाजीपुरसिरौंज विदिशा
3	श्रीमती मंजूलता दुबे, अध्यापक, शा. नवीन मा.शा.ककरेहटा जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 2685 दि. 16.07.08	नगर निगम जबलपुर जा.क्र. 123 दि. 23.07.08 1. शा.हाईस्कूल कजरवारा
4.	श्रीमती अनिता सरांठे, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.क.शा.आमगाँव बड़ा जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत करेली जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 577 दि. 12.05.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 1671 दि. 07.06.08 1. शा.प्रा.शा.मोहनिया
5.	श्रीमती अनुराधा दुबे, अध्यापक, शा. हाईस्कूल चारखेड़ा जिला हरदा	जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा जा.क्र. 2180 दि. 22.07.08	जनपद पंचायत औबे -दुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र. 1307 दि. 23.07.08 1. शा.मा.वि.गौहरगंज 2. शा.मा.वि.प्रेमतालाब 3. शा.मा.शा.डामडोगी

	1	2	3
6.	श्री हेमराज पुष्पक (विकलॉग) अध्यापक, शा.उ.मा.वि.सीहोर जिला सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क. 1744 दि.15.07.08	जनपद पंचायत सारंगपुर जिला राजगढ़ जा.क. 2522 दि. 16.07.08 1. शा.हाईस्कूल मऊ 2. शा. हाईस्कूल मांडू व्यावरा 3. शा. हाईस्कूल भूरा खेडी
7.	श्रीमती वंदना दुबे, अध्यापक, शा.मा. शा.नगवाड़ा जिला होशंगाबाद	जिला पंचायत होशंगाबाद जा.क. 5229 दि. 17.07.08	जिला पंचायत नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर जा.क. 5556 दि. 28.07.08 1.शा.पूर्व मा.वि.गाडरवारा
8	श्री मजुम कुमार बागरी (विकलॉग) सहायक अध्यापक, शा.मा.वि. कूकलयाखेडी जिला राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क. 3146 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत चाचौड़ा जिला गुना जा.क. 1129 दि. 18.07.08 1. शा.प्रा.वि.कोन्याकला
9	श्रीमती सुनीता कोष्टा, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.विजयपानी खुर्द जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जा.क. 875 दि. 21.04.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क.2074 दि. 18.07.08 1. शा.प्रा.शा.रामपुर नकटिया
10	श्रीमती रमा ढिमोले, अध्यापक, नवीन मा.शा.बारछी जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत बाबई चीचली जिला नरसिंहपुर जा.क. 1487 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 2068 दि. 17.07.08 1. शा.मा.शा.सालीबाड़ा
11	श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, अध्यापक, शा. कन्या हाईस्कूल सिंहावल जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 8078 दि. 17.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 134 दि. 18.07.08 1. शा.हाईस्कूल बदवार 2. शा.मा.वि.मढी
12	श्रीमती माया पाण्डेय, सहायक अध्यापक, शा.उ.मा.वि.भजिया जिला कंटनी	जनपद पंचायत बड़वारा जिला कंटनी जा.क. 747 दि. 15.07.08	नगर पालिका निगम सतना जिला सतना जा.क. 384 दि. 16.07.08 1. शा.प्रा.शा.गठिया
13	श्रीमती अर्चना खरे, अध्यापक, शा. कन्या उ.मा.वि.शाहगंज जिला सीहोर	जनपद पंचायत बुधनी जिला सीहोर जा.क. 1302 दि. 09.07.08	नगर पंचायत औबे -दुल्लागंज जिला रायसेन जा.क. 432 दि. 22.07.08 1. शा.कन्या उ.मा.वि. औबेदुल्लागंज
14	श्रीमती शबाना, सहायक अध्यापक (पीटीआई) शा.प्रा.शा.कालूखेड़ा जागीर जिला भोपाल	जनपद पंचायत बैरसिया जा. क. 4028 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत कन्नौद जिला देवास जा.क. 1364 दि. 14.07.08 1. शा.प्रा.वि.बाकया
15	श्रीमती कांति पटवा, अध्यापक, शा.मा.वि.बरगॉय जिला दतिया	जिला पंचायत दतिया जा.क. 1653 दि. 16.07.08	जिला पंचायत ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क. 8679 दि. 22.07.08 1.शा.हाईस्कूला कन्याणी डबरा

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


08/08/08
उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./170/2008/1088 भोपाल,दिनांक: 8/08/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।